-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्त को थाना बबेरु पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 45 क्वार्टर देशी शराब बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना बबेरु पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान औगासी रोड विजय ढाबा के पास से एक अभियुक्त को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 45 क्वार्टर अवैध देशी शराब व परिवहन में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद हुआ है ।

बरामदगी-

- 45 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीह ब्राण्ड ।
- परिवहन में प्रयुक्त 01 स्कूटी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शेर सिंह पुत्र माता प्रसाद निवासी पतवन थाना बबेरु जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 179/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बबेरु जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कल्वे अब्बास खां
2. कां0 अजय कुमार